संख्या - 006/पी.आर.सी/1
भारत सरकार
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 18.02.09

परिपत्र संख्या 03/02/09

विषय: सलाह के लिए आयोग को संदर्भ भेजना - संगठनों की सिफारिशों के साथ संलग्न की जाने वाली सूचना ।

आयोग को सलाह के लिए भेजे जा रहे मामलों के मूल्यांकन तथा उचित जांच की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से आयोग के दिनांक 01.12.2008 के परिपत्र सं-32/12/08 द्वारा मामले में शामिल कर्मियों से संबंधित विवरण सारणीबद्ध रूप से भेजने हेतु एक प्रपत्र परिचालित किया गया था । उक्त परिपत्र आयोग की वेबसाईट www.cvc.nic.in भी उपलब्ध है ।

2. यह प्रेक्षित किया गया है कि बड़ी संख्या में संगठन उपर्युक्त अनुदेशों का अभी तक अनुवर्तन नहीं कर रहे हैं तथा अपेक्षित सूचना अभी भी उक्त सारणीबद्ध विवरणी में उपलब्ध नहीं करा रहे हैं । आयोग ने अपने दिशानिर्देशों का पालन न किए जाने को गंभीरता से लिया है तथा निर्णय लिया है कि अब से अपेक्षित सारणीबद्ध रूप में सूचना प्राप्त ना होने पर प्रथम/द्वितीय चरण की सलाह के संदर्भो को संबंधित विभागों/संगठनों को लौटा दिया जाएगा । संबंधित विभागों/संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे ।

3. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी आयोग के उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए इसे नोट करें ।

-ह0/-

(शालिनी दरबारी)
निदेशक

सभी मुख्य सतर्कता अधिकार